झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

संoसंo-मoनिo-II-उo योo-14/2013-14/ 05 /मत्स्य, रॉची, दिनांक 18 · 04 · 16

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भाo प्रo सेo
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रुप से परामर्शित

महालेखाकार
झारखण्ड, रॉची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन अंतर्गत राज्य योजना में झास्कोफिश का गठन योजना का मोo 160.00 लाख (एक करोड़ साठ लाख) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

झारखण्ड सरकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सामान्य राज्यादेश संo-03 दिनांक 01.05.2015 तथा ऑनलाईन राज्यादेश संo 437 दिनांक 01.05.2015 के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश संo ..139 दिनांक 18..4..16.. के अनुसार मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन अंतर्गत राज्य योजना में झास्कोफिश का गठन योजना का मोo 160.00 लाख (एक करोड़ साठ लाख) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर स्वीकृति प्रदान की है।

निबंधक सहयोग समितियॉ, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक 1736 दिनांक 06.12.2008 द्वारा राज्य सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र में राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी समिति के रुप में झारखण्ड राज्य सहकारी मत्स्य संघ (झास्कोफिश) [JHASCOFISH] (Jharkhand State Co-operative Fisheries Federation Ltd. Ranchi) का निबंधन कराया गया है जिसका निबंधन संख्या 17/एसoक्यूoआरo दिनांक 29.11.2008 है तथा झारखण्ड सरकार, पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) रॉची के अधिसूचना संo-70 दिनांक 15.01.2009 के द्वारा संघ के 23 सदस्यीय निदेशक मंडल का गठन किया गया है।

झास्कोफिश का गठन के माध्यम से झारखण्ड राज्य में कार्यरत मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के प्रबंधन/समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने/समिति के मछुआरे सदस्य को मत्स्य शिकारमाही का उचित मूल्य उपलब्ध कराने/मछलियों के विपणन में सहायता करने तथा मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने आदि का निर्णय लिया है।

इस योजना से राज्य में सहकारिता के आधार पर प्राथमिक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के माध्यम से मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि एवं मत्स्य पालकों के आय/आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये उन्हें मार्ग-दर्शन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जायेगी।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना के लिये कुल मोo 160.00 लाख (एक करोड़ साठ लाख) रुo मात्र का योजना उद्व्यय निर्धारित है।

राज्य योजना अंतर्गत इस योजना का बजट उपबंध तीन लघु शीर्षों में निम्न प्रकार से उपलब्ध है -

मांग संख्या-53-मत्स्य मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन

क0	लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रू0 में)
1	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उप शीर्ष-48-झास्कोफिश का गठन विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-48-अंशदान विपत्र कोड- 53P240500796480648	50.00
2	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना उप शीर्ष-48-झास्कोफिश का गठन-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-48-अंशदान विपत्र कोड 53P240500789480648	25.00
3	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-48-झास्कोफिश का गठन विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-48-अंशदान विपत्र कोड-53 P240500101480648	85.00
	कुल योग :	160.00

तीनों लघु शीर्ष में कुल उपबंधित राशि मो0 एक करोड़ साठ लाख रू0 मात्र।

3. इस योजना के माध्यम से झारखण्ड राज्य सरकारी मत्स्य संघ लि0, रॉची को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मो0 160.00 लाख (एक करोड़ साठ लाख) रू0 अनुमानित अंशदान के रुप में उपलब्ध कराने की कार्रवाई स्थापित प्रक्रिया एवं नियमों के आलोक में की जायेगी।

4. झास्कोफिश को राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि को व्यय करने हेतु प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश को कॉपरेटिव बैंक, रॉची में खोले गये खाता के संचालन की अनुमति पूर्व से प्रदत्त है। राशि के अनुमानित व्यय का अनुमोदन झास्कोफिश के निदेशक मंडल की बैठक के निर्णय के आलोक में किया जायेगा।

5. झास्कोफिश की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर आयोजित की जायेगी एवं झास्कोफिश को समितियों के कल्याणार्थ और सक्रिय बनाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव झास्कोफिश के निदेशक मंडल की बैठक में लाया जायेगा।

6. मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्य मत्स्य कृषकों के सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु झास्कोफिश द्वारा ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई करने हेतु 30 जून, 2016 तक प्रस्ताव उपस्थापित किया जायेगा।

7. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो दिये गये आवंटन के अंतर्गत राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से एक मुश्त करते हुए झास्कोफिश के पी0 एल0 खाते में जमा कर देंगे। झास्कोफिश के पी0 एल0 खाते के संचालक प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश होंगे। प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश द्वारा किये गये व्यय का अनुमोदन झास्कोफिश के निदेशक मंडल की बैठक में प्राप्त कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को स-समय प्रबंध निदेशक द्वारा भेजा जायेगा।

8. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची/विशेष सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) होगें।

9. (क) चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में संगत शीर्ष में उपबंधित राशि की अधिसीमा के अंतर्गत ही विभागीय स्तर से आवंटन आदेश निर्गत होगा।

(ख) राशि की निकासी एवं व्ययन के कम में पूर्ण पारदर्शिता के साथ सभी स्थापित नियमों/ विहित प्रक्रियाओं का पालन किये जाने एवं स्वीकृत राशि का विचलन या दुर्विनियोग नहीं हो अन्यथा इसके लिये प्रबन्ध निदेशक, झास्कोफिश जिम्मेवार होंगे।

05 18/4/16 18/4/16

(ग) निर्माण कार्य के प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अनिवार्य होगी।

(घ) योजना का डुप्लीकेशन यानी सदृश्य कार्य के लिये दुसरे स्रोत से राशि प्राप्त होने पर तत्संबंधी सूचना अविलम्ब नियंत्री पदाधिकारी को देने का दायित्व प्रबन्ध निदेशक, झास्कोफिश का होगा।

10. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

11. मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा दरों का निर्धारण कर राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

12. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जायेगी।

13. वित्तीय वर्ष 2015-16 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही निदेशक मत्स्य द्वारा आवंटन निर्गत किया जायगा।

14. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना ज्ञापांक सी0एस02/आर0-01/2005-302 दिनांक 11.03.2015 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।

15. यह पूर्णत: राज्य योजना है तथा इस योजना के अन्तर्गत कोई अग्रिम राशि समायोजन हेतु लंबित नहीं है।

16. वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजना की स्वीकृति मो0 120.00 लाख (एक करोड़ बीस लाख) रू0 मात्र पर प्राप्त थी तथा वास्तविक व्यय मो0 120.00 लाख रू0 का हुआ है।

17. प्रबन्ध निदेशक, झास्कोफिश से इस योजना का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त है।

18. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

19. योजना में अनुदान मद की राशि जो विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-48-अंशदान से विकलनीय होगी, के लिये महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, रॉची के पत्रांक टी0ए0-7(2014-15)-90/104 दिनांक 24.07.2014 एवं 06.08.2014 के कम में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

18/4/16

(पूजा सिंघल)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक 05/मत्स्य, रॉची, दिनांक 18·04·2016

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, डोरंडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/4/16

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक /मत्स्य, रॉंची, दिनांक

प्रतिलिपि :: निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉंची/ प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, झारखण्ड, रॉंची/कार्यपालक अभियंता, पशुपालन एवं मत्स्य, झारखण्ड, रॉंची /सभी उप मत्स्य निदेशक/ सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/16

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक /मत्स्य / रॉंची , दिनांक

प्रतिलिपि :: योजना एवं वित्त विभाग (बजट शाखा वित्त प्रभाग), झारखण्ड, रॉंची / आ0 वि0 सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित ।

18/5/16

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक /मत्स्य / रॉंची , दिनांक

प्रतिलिपि :: माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉंची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/विशेष सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

18/5/16

सरकार के विशेष सचिव